# फर्द अहकाम

गुलाबराम वगै० बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

प्रकरण 434/2015

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 3/8/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। समय के अभाव में आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली दैनिकसार वास्ते आदेश हेतु दिनांक 7/8/23 को पेश हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>जमवारामगढ़, जिला-जयपुर | |
| 7/8/23 | पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप०। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभय पक्षों की बहस पूर्व में सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के अ० पत्र के अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौके पर कब्जे कायम करने अधिकारी अनुसार ग्राम हरिपुरा प्राइमरी के विपक्ष प्रार्थी की सूचि क्र० 172, 173 की सूचि के दक्षिण के लगाव अनुसार ग्राम रतनपुरा हरिपुरा के ग० नं० 473/963 के. यू० एडु नक्शे के तरमीम करके के. यू० एडु बसाव नक्शा 473/963 के दक्षिण के लगाव अनुसार बसाव नं० 473/962 की सूचि के नक्शे की तरमीम करने के आदेश फरमाया जावे।<br>अप्रार्थी नं० 1 (पैरवीकार सरकार) ने अपने जवाब पत्र नं० 1/SDC/2024/198 दिनांक 19/8/20 के अंकित बिन्दुओं को तरदीद करते हुए निवेदन किया कि उक्त दोनों ग्रामों की सीमाऐं सही हैं व ओवरलेप की समस्या नहीं है। वकील अप्रार्थी नं० 2 व 3 ने | |

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

# फर्द अहकाम

प्रतिवादी वर्सेस बनाम सरकार वगैरह

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 1134/2015

| क्रम संख्या | विपक्षि आज्ञा की कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से |
|---|---|---|
| | | श्री आपकी सहायक पीठासीन अधिकारी के समक्ष अनुसार निवेदन किया कि पीठासीन अधिकारी के आगे समक्ष में प्रस्तुत अनुसार कार्यवाही हो रही प्रकरण में अंकित होने आगे है। जीवाणे हाजी है व नोटिसों की तामील नहीं है। अप्रार्थीगणों का पूरा पता स्पष्ट नहीं है।<br><br>प्रत्यावेदकों का अभ्यावेदन करते व नकील इमल पक्षों को सहायक सहायक करने का पीठासीन अधिकारी के समक्ष के कहने का अभ्यावेदन का गमन करने पर अप्रार्थीगणों के पक्ष अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एम. आर. एक्ट को पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार करना उचित ठहराते है। अतः प्रार्थीगणों की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 एम. आर. एक्ट को पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। जिनकि वाद इकलाश (दावा) अपीलावली कोर्ट से अनुसार होकर वापस ले कर ले तथा बाद प्रकृति डाखिल करार हो।<br><br>7/M3<br>सहायक प्रतिभागी<br>जमवारामगढ़, जिला-जयपुर |